उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

बहादराबाद, हरिद्वार – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग

BAHADARABAD, HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो0 – बहादराबाद (हरिद्वार)– 249402

P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402

Website : www.usvv.ac.in

दिनांक 30 मार्च, 2023

उपस्थिति पत्रक

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की कार्यपरिषद् की **46वीं** बैठक **दिनांक 30 मार्च, 2023** (गुरुवार) को मध्याह्न **12:00 बजे** विश्वविद्यालय मुख्यालय में मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नांकित सम्मानित सदस्यों/महानुभावों ने उपस्थित होकर प्रतिभाग किया।

1.	**प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री** कुलपति	**9410192541**	**अध्यक्ष**	
2.	**मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री लोक पाल सिंह** पूर्व मा. न्यायमूर्ति उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।	**9412004668**	**सदस्य**	Lokpal Singh
3.	**प्रो. कमला पन्त** विभागाध्यक्ष– संस्कृत विभाग एम.बी. (पी.जी.) कॉलेज हल्द्वानी।	**7505196446**	**सदस्य**	ऑन लाईन(उपस्थित)
4.	**डॉ. ओम प्रकाश भट्ट** पूर्व प्राचार्य (से.नि.) श्री रामानुज वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय भूपतवाला, हरिद्वार।	**9411151775**	**सदस्य**	
5.	**प्रो. यशबीर सिंह** प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष–धर्मशास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली।	**9873901289**	**सदस्य**	
6.	**श्री पद्माकर मिश्रा** उप निदेशक उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय रानीपुर झाल, हरिद्वार।	**9410307641**	**सदस्य**	
7.	**डॉ. प्रतिभा शुक्ला** संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।	**8126729245**	**सदस्य**	प्रतिभा शुक्ला 30-3-2023
8.	**डॉ. शैलेश कुमार तिवारी** संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।	**6397486285**	**सदस्य**	30-3-2023
9.	**प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला** आचार्य/विभागाध्यक्ष–भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग	**9411173339**	**सदस्य**	30/3/2023
10.	**डॉ. कामाख्या कुमार** उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।	**9258369603**	**सदस्य**	30.3.23

11. **डॉ. विनय कुमार सेठी** सहायक आचार्य–भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।	9719775831	सदस्य	30/3/23
12. **डॉ. संजीव शास्त्री** प्राचार्य, श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश	9897037019	सदस्य	30/03/2023
13. **डॉ. शिवानी विद्यालंकार** प्राचार्य, श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल हरिद्वार।	9411150908	सदस्य	30-3-2023
14. **श्री लखेन्द्र गौथियाल** वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।	9068530167	सदस्य	30/03/23 12:08
विशेष आमंत्रित सदस्य			
15. **श्री दिनेश कुमार** उपकुलसचिव उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।	9897081056	सदस्य	30.03.23
16. **श्री गिरीश कुमार अवस्थी** कुलसचिव	7456964872	सचिव/मा. कार्यपरिषद्	30.03.23

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यपरिषद् की 46वीं बैठक, दिनांक 30 मार्च, 2023 का कार्यवृत्त

दिनांक 30 मार्च, 2023 (गुरुवार), मध्याह्न 12:00 बजे मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कार्यपरिषद् की 46वीं बैठक सम्पन्न हुई। मंगलाचरणोपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में मा0 कार्यपरिषद् के निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1.	प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री कुलपति	अध्यक्ष
2.	मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री लोक पाल सिंह पूर्व मा. न्यायमूर्ति उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।	सदस्य
3.	प्रो. कमला पन्त विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग एम.बी. (पी.जी.) कॉलेज हल्द्वानी।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
4.	डॉ. ओम प्रकाश भट्ट पूर्व प्राचार्य (से.नि.) श्री रामानुज वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय भूपतवाला, हरिद्वार।	सदस्य
5.	प्रो. यशवीर सिंह प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष–धर्मशास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली।	सदस्य
6.	श्री पद्माकर मिश्रा उप निदेशक उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय रानीपुर झाल, हरिद्वार।	सदस्य
7.	डॉ. प्रतिभा शुक्ला संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।	सदस्य
8.	डॉ. शैलेश कुमार तिवारी संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।	सदस्य
9.	प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला आचार्य/विभागाध्यक्ष–भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।	सदस्य
10.	डॉ. कामाख्या कुमार उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।	सदस्य

11.	डॉ. विनय कुमार सेठी सहायक आचार्य–भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार	सदस्य
12.	डॉ. संजीव शास्त्री प्राचार्य श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश।	सदस्य
13.	डॉ. शिवानी विद्यालंकार प्राचार्या श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल हरिद्वार।	सदस्य
14.	श्री लखेन्द्र गौथियाल वित्त नियन्त्रक उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।	सदस्य
15.	श्री दिनेश कुमार उपकुलसचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	गिरीश कुमार अवस्थी कुलसचिव	सचिव, मा0 कार्यपरिषद्

बैठक में अधो–निर्दिष्ट निर्णय लिये गये :–

मद संख्या : 01 मा. कार्यपरिषद् की 42वीं बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय: मा. कार्यपरिषद् को उक्त बैठक के मद सं0 04 पर प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार के मा. कुलपति महोदय को संबोधित पत्रांक 313/मो.न.प्रवेश/2022–23, दिनांक 28.03.2023 के द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का प्रभारी प्राचार्य, श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार को संबोधित पत्र सं08–1/CSU/Acd./N.O.C./2023/1014, दिनांक 27.03.2023 संलग्न किया गया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार में उत्तराखंड सस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से प्राप्त योग पाठयक्रम के गतिमान रहने पर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के शैक्षिक विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

मा. कार्यपरिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रकरण पर विचार किया गया तथा इस प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मा. कुलपति महोदय को एक समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। यह समिति संबंधित तथ्यों का अवलोकन कर एक माह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी, जिसे आगामी मा. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त बैठक के मद सं0 05 (कम्प्यूटर सैन्टर सम्बन्धी) के संदर्भ में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् समिति गठित की गयी, जो बजट की उपलब्धता के आधार पर अपना विस्तृत प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी, जिस पर वित्त नियंत्रक के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी–

1. श्री दिनेश कुमार, उपकुलसचिव – अध्यक्ष
2. डॉ0 सुयश भारद्वाज, सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान) – बाह्य विशेषज्ञ

3. श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखाकार – सदस्य
4. श्री सुशील कुमार, सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान) – संयोजक

शेष कार्यवृत्त पर मा. कार्यपरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 02 मा. कार्यपरिषद् की 43वीं बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।

मद संख्या : 03 मा. विद्यापरिषद् की 25वीं बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2022 का कार्यवृत्त मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 04 मा. विद्यापरिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 का कार्यवृत्त मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 05 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में नवीन अतिथि गृह का निर्माण कार्य किया जा रहा है इस सम्बन्ध में वर्तमान तक की प्रगति रिपोर्ट मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए संतुष्टि व्यक्त की।

मद संख्या : 06 विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना सम्बन्धी वर्तमान तक की गयी कार्यवाही मा. कार्यपरिषद् के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए संतुष्टि व्यक्त की तथा निर्णय लिया कि शासन के कम्यूनिटी रेडियो सम्बन्धी पत्र दिनांक 23.02.2022 के आलोक में शासन को इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुए बजट की मांग कर ली जाय।

मद संख्या : 07 मा0 कार्यपरिषद को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक 627/प्रशासन/2019 दिनांक 19.09.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं शिक्षणेतर (परीक्षा नियंत्रक, क्रीड़ा सह निदेशक, क्रीड़ा उप निदेशक, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक अभियंता–सिविल, कनिष्ठ अभियंता–विद्युत, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन) पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। जिस पर शासन/विश्वविद्यालय स्तर से कार्यवाही गतिमान है।

यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 के मानकानुसार सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल का पद सृजन हेतु पृथक् से भी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, इस संदर्भ में शासन के पत्र दिनांक 28.01.2022 के प्रस्तर 2(4) में पृच्छा की गयी है कि "क्या उक्त पद के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वित्त समिति/कार्यपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है?" इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने अपने पत्र सं0 912/प्रशासन/2022 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर में शासन को अवगत कराया कि "विश्वविद्यालय की दिनांक 11.07.2019 को सम्पन्न हुई मा. विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक के मद संख्या–19 के विनिश्चय में मा. परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 12बी. को ध्यान में रखते हुए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है कि अपेक्षित विभागों में पद सृजन करने के लिये यथोचित कार्यवाही करें। उक्त पद विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर के अनुसार सृजित किया जाना नितांत आवश्यक है। उक्त पद का आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में पदनाम से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद की के सम्मुख अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के पत्रांक 627/प्रशासन/2019, दिनांक 19.09.2019 मे अंकित शैक्षिक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं शिक्षणेतर (परीक्षा नियंत्रक, कीडा सह निदेशक, कीडा उप निदेशक, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक अभियंता–सिविल, कनिष्ठ अभियंता–विद्युत, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन) पदों के सृजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्रीडा सह निदेशक के पद को क्रीडा सहायक निदेशक पद से संशोधित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

मा. कार्यपरिषद् ने सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के पद सृजन संबंधी प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

यद्यपि उपरोक्त में जनसंपर्क अधिकारी का पद भी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है तथापि वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए इस पद के सृजन का प्रस्ताव पृथक् से शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव भी मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 08 विश्वविद्यालय हेतु सम्पदा अधिकारी के पद का सृजन करने का प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 09 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में 2010 एवं 2016 में नियुक्त शिक्षकों का स्थायीकरण अभी तक नहीं हुआ है। अतः 2010 एवं 2016 में विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः इस सम्बन्ध में मा. कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा दिनांक 29.03.2023 की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत कराया गया, जिसमें मद सं0–01 के विनिश्चय के अनुसार सम्बन्धित शिक्षकों को स्थायीकरण का पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस सन्दर्भ में मा0 कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 एवं 2016 में नियुक्त ऐसे समस्त शिक्षक एवं समकक्ष संवर्ग, जिनके द्वारा 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी है, का स्थायीकरण करते हुए तत्सम्बन्धी स्थायीकरण पत्र कुलसचिव द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्गत किया जाय।

मद संख्या : 10 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में नियुक्त अर्ह सहायक आचार्यो को पीएच.डी. इन्क्रीमैन्ट का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, तथापि वर्ष 2010 में नियुक्त अर्ह सहायक आचार्यो को यह लाभ अनुमन्य किया जा चुका है।

अतः 2016 में विश्वविद्यालय में नियुक्त अर्ह सहायक आचार्यो को पीएच.डी. इन्क्रीमैन्ट का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः इस सम्बन्ध में मा. कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा दिनांक 29.03.2023 की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत कराया गया, जिसमें मद सं0–02 के विनिश्चय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना 271, दिनांक 18.07.2011 के बिन्दु सं0–19.1 के अन्तर्गत शिक्षकों को भर्ती के प्रवेश स्तर पर नियमानुसार अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस सन्दर्भ में मा0 कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में नियुक्त समस्त अर्ह सहायक आचार्य एवं समकक्ष संवर्ग को पीएच.डी. इन्क्रीमैन्ट का लाभ प्रदान किया जाय।

मद संख्या : 11 (क) मा. कार्यपरिषद को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के द्वारा सप्तम् वेतनमान का लाभ शासनादेश की तिथि से अनुमन्य किया गया है परन्तु 01.01.2016 से एरियर शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

अतः प्रकरण मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(ख) डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी एवं डॉ. कंचन तिवारी द्वारा प्रेषित सप्तम वेतनमान लाभ प्रदान कराने विषयक प्रार्थना पत्रों पर विचार।

विनिश्चयः

क. मा. कार्यपरिषद् द्वारा इस प्रकरण पर गहनतापूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त लम्बित एरियर राशि को निर्गत किये जाने हेतु शासन को पुनः एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए।

ख. डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी, सहाचार्य साहित्य विभाग एवं डॉ. कंचन तिवारी, सहायक आचार्य साहित्य विभाग को मा0 कार्यपरिषद् के समक्ष उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया तथा उनका पक्ष सुनने के उपरान्त मा0 कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दोनों शिक्षकों को उनसे शपथ पत्र प्राप्त कर शासनादेश की तिथि से सप्तम् वेतनमान का लाभ अनुमन्य करने सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किया गया।

डॉ. दामोदर परगांई के सम्बन्ध में कुलसचिव ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–8(5) के अन्तर्गत तत्कालीन मा. कुलपति द्वारा शासन को प्रेषित पत्रांक 958/कुलपति पटल/2019 दिनांक 09.01.2019 का सन्दर्भ लेते हुए मा0 कार्यपरिषद् को अवगत कराया कि वर्ष 2010 में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में गतिमान जांच अब समाप्त हो गयी है। डॉ. दामोदर परगांई के अतिरिक्त वर्ष 2010 में नियुक्त अन्य सभी शिक्षकों ने पूर्व में जांच के गतिमान रहते हुए सप्तम् वेतनमान सम्बन्धी शपथ पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर दिया था तथा उन्हें तत्सम्बन्धी सप्तम् वेतनमान का लाभ अनुमन्य कर दिया गया था। चूँकि वर्तमान में वर्ष 2010 में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई जांच प्रचलित नहीं है, अतः डॉ. दामोदर परगांई द्वारा जांच सम्बन्धी कोई शपथ पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डॉ. दामोदर परगांई को सप्तम् वेतनमान सम्बन्धी लाभ निर्गत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 12

मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 एवं 2016 में नियुक्त शिक्षकों को करियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के तहत प्रोन्नत करने की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः

मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सबंध में चल रही जॉच का निस्तारण मा. कार्यपरिषद की 31वीं बैठक दिनांक 26.02.2018 के अनुसार कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–8(5) के अन्तर्गत तत्कालीन मा. कुलपति द्वारा पत्रांक 958/कुलपति पटल/2019 दिनांक 09.01.2019 के माध्यम शासन को भी प्रेषित की जा चुकी है।

मा. कार्यपरिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में नियुक्त शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग की नियुक्ति के सबंध में चल रही जांच रिपोर्ट में कतिपय प्रक्रिया गत कमियां इंगित की गयी है तथापि किसी शिक्षक एवं समकक्ष संवर्ग की अर्हता, योग्यता आदि के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा. कार्यपरिषद ने उ0प्र0रा0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 क (1) का संदर्भ ग्रहण किया, जिसके अनुसार इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताये रखता हो, जैसी विहित की जाए, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

मा0 कार्यपरिषद् के संज्ञान में यह भी लाया गया कि विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के निदेशक के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा भी दिनांक 29.03.2023 को आहूत की गयी बैठक के मद सं0–03 के विनिश्चयानुसार अर्ह शिक्षकों को अर्हतापूर्ण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किया जाना उचित होगा।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं तथा तथ्यों का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 एवं 2016 में नियुक्त शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को करियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नत किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 13 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में हुयी है, परन्तु कार्मिकों का स्थायीकरण अभी तक नहीं हुआ है।अतः उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का स्थायीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2009–2010 तथा 2010–11 में नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति के संदर्भ में वर्तमान में कोई जॉच प्रचलित नहीं है। अतः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 14 (i) मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्रांक एस.एच.ए./स्वायत्तशासी (संस्था/उपक्रम)/ 2022–23/868 देहरादून, दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा शासनादेश संख्या–1256(1)/XXVVIII(3)21–04/2018. T.C. दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कामिकों/पेंशनर्स हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के विषयक अवगत कराया गया है कि :–

"शासनादेश संख्या–1256(1)/XXVVIII(3)21–04/2018. T.C. दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के प्रस्तर 22 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, "उक्त योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान (Grants in Aid) उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है :–

a) उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।

b) उक्त योजना सम्बन्धित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिकों हेतु अनिवार्य होगी।

c) उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेशनर के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।"

(ii) उक्त के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–1256(1)/XXVVIII(3)21–04/2018. T.C. दिनांक 25 नवम्बर, 2021 मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ताकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड को अनुमोदित प्रस्ताव की सत्यापित प्रतिलिपि प्रेषित की जा सके।

(iii) वर्तमान में विश्वविद्यालय में आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना को लागू किये जाने एवं सुविधा कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या (i) में सन्दर्भित शासनादेश अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है, जब तक सुविधा कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया सम्पन्न होती है तब तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 679/चि0–3–2006–437/2002 दिनांक 04.09.2006 में वर्णित शर्तो के अधीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 15 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, रुड़की को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में योग पी.जी.डी., योगाचार्य (एम.ए.) एम.लिब्. विज्ञान, आचार्य (एम.ए.) हिन्दी, आचार्य (एम.ए.) इतिहास, आचार्य (एम.ए.) पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी। महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय को

विश्वविद्यालय द्वारा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में मा. विद्यापरिषद् एवं मा. कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–04 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्णय हुआ कि भविष्य में पाठ्यक्रम/मान्यता स्थानान्तरित करने सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा तथापि संस्थान सम्बद्धता/मान्यता निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 16 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रूबराज इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शाहपुर, शीतलाखेड़ा, हरिद्वार को विश्वविद्यालय के पत्रांक 643 /प्रशासन/सम्बद्धता/2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 द्वारा योगाचार्य (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (प्रवेश क्षमता 40 सीट) स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी थी।

उक्त संस्थान के अध्यक्ष ने अपने पत्रांक RIAS/182/2021–22 दिनांक 05.08.2022 द्वारा विश्वविद्यालय से संस्थान को प्रदान की गयी योगाचार्य पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय में जमा की गयी एफ.डी.आर. को बन्धनमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–05 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 17 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दून आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज, देहरादून को विश्वविद्यालय के पत्रांक 630/प्रशासन/सम्बद्धता/2019 दिनांक 19 सितम्बर, 2019 द्वारा योगाचार्य (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (प्रवेश क्षमता 40 सीट), पी.जी.डी. योग 40 सीट में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी थी।

उक्त संस्थान के सचिव ने अपने पत्रांक 3195/USVV–सम्बद्धता दिनांक 06.09.2022 द्वारा विश्वविद्यालय से संस्थान को प्रदान की गयी योगाचार्य एवं पी.जी.डी. योग पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय में जमा की गयी एफ.डी.आर. को बन्धनमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–06 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 18 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संजीवनी योग एवं नैचुरोपैथी संस्थान, खसरा–न0 478, ग्राम–सालियर, मु.परगना, भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार को विश्वविद्यालय के पत्रांक 4134/सम्बद्धता/2017 दिनांक 21 अगस्त, 2017 द्वारा योगाचार्य (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (प्रवेश क्षमता 60 सीट), पी.जी.डी. योग 60 सीट एवं योग प्रमाण पत्र (छः माह) 60 सीटों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी थी।

उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य ने अपने पत्र के पत्रांक SSY/ 2022/12/01 दिनांक 19.12.2022 द्वारा विश्वविद्यालय से संस्थान को प्रदान की गयी योगाचार्य, पी.जी.डी. योग एवं योग प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता समाप्त करने की अनुमति प्रदान करने की अनुमति हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–07 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 19 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि साँई इन्स्टीट्यूट ऑफ यौगिक साइंस जसपुर खुर्द, कुण्डेश्वरी रोड़ तहसील–उधमसिंह नगर, काशीपुर ने अपने पत्र के पत्रांक 252 दिनांक 19.02.2018 द्वारा योगाचार्य (द्विवर्षीय) योग पी.जी.डी (एक वर्षीय) योग प्रमाण पत्र (छः माह) पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय से अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने विषयक पत्र प्रेषित किया गया।

2. विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण कर स्थलीय निरीक्षण आख्या प्राप्त हुयी।

3. स्थलीय निरीक्षण की आख्या को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न 17वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2018 के मद संख्या–04 एवं मा. कार्यपरिषद् की सम्पन्न 34वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2018 के मद संख्या–07 पर प्रस्तुत किया गया। जिसके विनिश्चयानुसार संस्थान में कतिपय कमियाँ होने के कारण कमियाँ दूर करने के पश्चात् पुनः निरीक्षण करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

4. पुनः संस्थान द्वारा कमियाँ दूर कर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 09.07.2019 विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ, से सम्बन्धित प्रकरण को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 18वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2019 के मद संख्या–05 के (ख) के क्रमांक 03 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् द्वारा पुनः निरीक्षण करने हेतु मा. कुलपति महोदय को नये स्तर से निरीक्षण मण्डल का गठन करने हेतु अधिकृत किया गया था। तद्पश्चात् मा. कार्यपरिषद् की सम्पन्न हुयी 36वीं बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2019 के मद संख्या–03 के विनिश्चय बिन्दु संख्या–03 पर मा. कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. उक्त संस्थान द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के आधार पर तत्कालीन मा. कुलपति महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया परन्तु कोविड–19 कोरोना महामारी के कारण स्थलीय निरीक्षण कार्य नहीं किया जा सका।

6. उक्त संस्थान के पत्रांक SIYS/22/001 दिनांक 22.11.2022 द्वारा विश्वविद्यालय से अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में पुनः पत्र प्राप्त हुआ जिसके क्रम में संस्थान का तत्कालीन मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति तथा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय के पत्रांक 775/निरीक्षण/2022 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 के क्रम में स्थलीय निरीक्षण किया गया।

उक्त संस्थान के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या रिपोर्ट मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अवलोकन, विचार–विमर्श एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–08 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श किया तथा कुलसचिव/सचिव द्वारा सम्बन्धित संस्थान के स्थलीय निरीक्षण आख्या को मा. विद्यापरिषद् के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। तदुपरान्त मा. विद्यापरिषद् ने स्थलीय निरीक्षण की आख्या के आधार पर साँई इन्स्टीट्यूट ऑफ यौगिक साइंस जसपुर खुर्द, कुण्डेश्वरी रोड़ तहसील–उधमसिंह नगर, काशीपुर को योगाचार्य–30 सीटें, पी.जी.डी. योग–30 सीटें एवं योग प्रमाण पत्र–30 सीटें (सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश क्षमता) संचालित करने हेतु अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया गया।

अतः उक्त अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 20 विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण संस्थानों को अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता प्रदान किये जाने एवं इस सम्बन्ध में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता का साफ्टवेयर निर्माण किये जाने का प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–09 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 21 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि वर्ष 2018 (11,12,13 जुलाई, 2018) में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा विश्वविद्यालय को निरीक्षण किया गया था जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय को 'C' Grade प्राप्त हुआ। 05 वर्ष में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा विश्वविद्यालय का पुनः निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–10 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि भविष्य में उच्च ग्रेड को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अध्ययन–अध्यापन सम्बन्धी गतिविधियों की उच्च स्तरीय सुविधायें सुनिश्चित की जाये।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 22 विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू की जानी है इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहें विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–11 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया तथा निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में समुचित समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जाये, जिस हेतु मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 23 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में वेद एवं पौरोहित्य विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पौरोहित्य डिप्लोमा में 20 सीटें निर्धारित की गयी हैं जो कि इन सीटों में प्रवेश पूर्ण हो गये हैं परन्तु इस वर्ष छात्रों में विशेष रुझान देखने में आ रहा है इस कारण पौरोहित्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ाये जाने का प्रस्ताव वेद एवं पौरोहित्य विभाग द्वारा दिया गया। मा. कुलपति महोदय द्वारा मा. विद्यापरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया इस प्रकार सत्र 2022–23 में वेद एवं पौरोहित्य विभाग में सीटों की प्रवेश क्षमता 30 सीटें हो गयी है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–12 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 24 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में शास्त्री स्तर पर सत्र 2022–23 में 20 सीटें निर्धारित थी। इस सत्र में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि सत्र 2022–23 हेतु प्रवेशार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण छात्रहित में 20 अतिरिक्त सीटों में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार शास्त्री स्तर पर व्याकरण विभाग में प्रवेश क्षमता 40 सीटों की होगी। तत्कालीन मा. कुलपति महोदय द्वारा 40 सीटों में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–13 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 25 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों को सत्र 2021–22 एवं सत्र 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता का विस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	महाविद्यालयों के नाम	संचालित पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता
1	द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून।	शास्त्री स्तर पर :– साहित्य, प्राचीन व्याकरण, सांख्ययोग। आचार्य स्तर पर :– प्राचीन व्याकरण।
2	श्रीमद् दयानन्द आर्ष ज्योतिर्मठ गुरुकुल आर्यपुरम् दून वाटिका भाग–02 पौंधा, देहरादून।	शास्त्री स्तर पर :– साहित्य, प्राचीन व्याकरण, शुक्लयजुर्वेद पी0जी0डी योग 40 सीटें आचार्य स्तर पर :– साहित्य 30 सीटें प्राचीन व्याकरण 30 सीटें शुक्लयजुर्वेद 30 सीटें योगाचार्य 30सीटें
3.	बालिका संस्कृत महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी गढ़वाल।	शास्त्री स्तर पर :– साहित्य, नव्यव्याकरण, फलित ज्योतिष, शुक्लयजुर्वेद, पुराणेतिहास। आचार्य स्तर पर :– साहित्य, नव्यव्याकरण,फलित ज्योतिष, शुक्लयजुर्वेद, पुराणेतिहास।
4	श्री केदारनाथ सनातन धर्म उपाधि संस्कृत महाविद्यालय, उत्तराखण्ड विद्यापीठ, रुद्रप्रयाग।	आचार्य स्तर पर :– फलित ज्योतिष।
5	श्री दर्शन महाविद्यालय, मुनि की रेती पो0–शिवानन्द नगर, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल।	शास्त्री स्तर पर :– साहित्य। आचार्य स्तर पर :– साहित्य, नव्यव्याकरण,फलित ज्योतिष।
6	श्री 1008 स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय, मण्डल चमोली।	शास्त्री स्तर पर :– फलित ज्योतिष, शुक्लयजुर्वेद। आचार्य स्तर पर :– फलित ज्योतिष, शुक्लयजुर्वेद, पुराणेतिहास एवं दर्शन (सांख्ययोग)।
7	श्री ज्वालामुखी संस्कृत महाविद्यालय, देवढुंग, विनयखाल (टिहरी गढ़वाल)।	आचार्य स्तर पर :– साहित्य, नव्यव्याकरण,फलित ज्योतिष, शुक्लयजुर्वेद, पुराणेतिहास।
8	श्री जगदेव सिंह संस्कृत महाविद्यालय, सप्तऋषि आश्रम सप्तसरोवर, हरिद्वार।	शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर :– फलित ज्योतिष एवं स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत योगाचार्य –50 सीटें पी0जी0डी0 योग –50 सीटें
9	गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार।	आचार्य स्तर पर :– फलित ज्योतिष एवं

		स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत– योगाचार्य –40 सीटें पी0जी0डी0 योग –40 सीटें बैचरल ऑफ लाइब्रेरी साइंस (बी.लिब्. साइंस) –30 सीटें
10	पंजाब सिन्ध क्षेत्र साधु महाविद्यालय, ऋषिकेश।	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत योगाचार्य –60 सीटें पी0जी0डी0 योग –40 सीटें योग प्रमाण पत्र –40 सीटें पी0जी0डी0 ज्योतिष –40 सीटें
11	श्री जयराम संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश।	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत योगाचार्य –80 सीटें पी0जी0डी0 योग –80 सीटें योग प्रमाण पत्र –80 सीटें पी0जी0डी0 ज्योतिष –40 सीटें
12	शीतल वैदिक संस्थान, रानीपोखरी देहरादून।	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत– योगाचार्य –100 सीटें पी0जी0डी0 योग –80 सीटें योग प्रमाणपत्र –50 सीटें
13	श्री वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय, कण्वाश्रम कलालघाटी, कोटद्वार।	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत– योगाचार्य –50 सीटें पी0जी0डी0, योग –50 सीटें
14	हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्राम – फतेहपुर टाण्डा, पो0– वाया डोईवाला, जीवनवाला, देहरादून।	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत– योगाचार्य –100 सीटें पी0जी0डी0 योग –50 सीटें योग प्रमाण पत्र –40 सीटें पी0जी0डी0 ज्योतिष –40 सीटें
15	उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, राजपुर रोड़, देहरादून।	स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत– योगाचार्य –40 सीटें पी0जी0डी0, योग –40 सीटें
16	बाराही देवी संस्कृत महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत।	आचार्य स्तर पर– साहित्य विषय की अस्थायी सम्बद्धता।
17	अनमोल भारतीय उपचार एवं योग संस्थान, देहरादून।	योगाचार्य (द्विवर्षीय) –40 सीटें योग पी0जी0 डिप्लोमा –40 सीटें
18	उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, हल्द्वानी	योगाचार्य –80 सीटें योग पी0जी0 डिप्लोमा –80 सीटें योग प्रमाण पत्र (छःमाह) पाठ्यक्रम –50 सीटें
19	हरदेव सिंह संस्कृत कॉलेज, जसपुर।	योगाचार्य –60 सीटें योग पी0जी0 डिप्लोमा –50 सीटें
20	जसपाल राणा इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून।	योगाचार्य –30 सीटें योग पी.जी. डिप्लोमा –30 सीटें
21	यूनिवर्सल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसनल स्टडीज, ऋषिकेश।	योगाचार्य –60 सीटें

		योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र (छःमाह)	–60 सीटें –40 सीटें
22	अमृत कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनौरी, रुड़की	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र (छःमाह)	–40 सीटें –30 सीटें –30 सीटें
23	माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चम्पावत।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें –40 सीटें
24	सीता राम डिग्री कॉलेज, रुड़की।	योगाचार्य (द्विवर्षीय) पी.जी.डी. योग पी.जी.डी. इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन बी.लिब. साइंस	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
25	दरमा वैदिक संस्थान, आशुतोष नगर, नेहरू मार्ग, देहरादून रोड, ऋषिकेश।	योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें
26	संजीवनी योग एवं नैचुरोपैथी संस्थान, खसरा नं.– 478, ग्राम– सालियर, मु. परगना, भगवानपुर, तहसील – रुड़की, ज़िला–हरिद्वार।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र	–60 सीटें –60 सीटें –60 सीटें
27	बी.आर.एस.महाविद्यालय, टीकमपुर, सुल्तानपुर, जनपद–हरिद्वार।	योगाचार्य योग पी.जी डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र बी.लिब. साईंस	–60 सीटें –60 सीटें –60 सीटें –60 सीटें
28	एस.जे.एस. ग्रुप ऑफ एजुकेशन (समग्र जनकल्याण समिति) खेड़ा लक्ष्मीपुर, जसपुर,जनपद–ऊधमसिंह नगर।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन बी.लिब. साइंस	–60 सीटें –60 सीटें –60 सीटें –60 सीटें
29	हिमालयन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षण संस्थान जोगीवाला, देहरादून।	योगाचार्य पी.जी.डी. योग योग प्रमाण पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
30	चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा,जनपद–हरिद्वार।	योगाचार्य पी.जी.डी. योग एम.लिब. साइंस आचार्य (एम.ए) हिन्दी आचार्य (एम.ए) इतिहास आचार्य (एम.ए) पत्रकारिता	–40 सीटें –40 सीटें –30 सीटें –40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
31	हरिओम सरस्वती पी.जी. कॉलेज, धनौरी, जनपद –हरिद्वार।	योगाचार्य पी.जी.डी. योग योग प्रमाण पत्र बी.लिब. साइंस	–40सीटें –40सीटें –40सीटें –30सीटें
32	सत्त्वयोग पीठ, अमित ग्राम–गुमानीवाला, ऋषिकेश।	योगाचार्य पी.जी.डी. योग योग प्रमाण पत्र	–40सीटें –40सीटें –40सीटें
33	जगन्नाथ विश्वा कॉलेज, लाल तप्पड़ माजरी ग्रांट,	योगाचार्य	–40सीटें

	नजदीक–नेचर विला, हरिद्वार रोड, देहरादून।	पी.जी.डी. योग योग प्रमाण पत्र	–40सीटें –40सीटें
34	देवेश्वरी योग विद्यापीठ, ग्राम–हरिपुर कलाँ, वाया –रायवाला,जनपद–देहरादून।	योगाचार्य पी.जी.डी. योग योग प्रमाण पत्र	–40सीटें –40सीटें –40सीटें
35	श्री गरीबदासीय साधु संस्कृत महाविद्यालय, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा शास्त्री स्तर पर फलित ज्योतिष	–40सीटें –40सीटें –40सीटें
	जाह्नवी आयुर्वेदा एवं योग केन्द्र, हरिद्वार।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
37	ऋषिकेश योग धाम संस्थान, तपोवन, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
38	विशम्बर सहाय मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सैन्टर, रुड़की।	योगाचार्य	–40 सीटें
39	मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज, रूडकी।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
40	महेन्द्रसिंह डिग्री कॉलेज, बुधवाशहीद बुग्गावाला, हरिद्वार।	आचार्य (एम.ए.) हिन्दी आचार्य (एम.ए.) इतिहास	–40 सीटें –40 सीटें
41	उगते यूनिवर्सल गैरोला टूरिज्म एवं टैक्नीकल एक्सीलेंसी(UGTE) नजदीक नेपाली फॉर्म तिराहा देहरादून रोड, खैरीखुर्द, श्यामपुर, ऋषिकेश।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
42	श्री साँई इन्स्टीट्यूट, गोविन्दपुरी, हरिद्वार (मानव शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं विकास संस्थान, हरिद्वार द्वारा संचालित)।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
43	डी.डी. कॉलेज, देहरादून।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें –40 सीटें
44	ऋषि योग संस्थान, पूर्वी नाथ नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें –40 सीटें
45	रुड़की दिव्य योग संस्थान, चुड़ियाला रोड, भगवानपुर।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें –40 सीटें
46	श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, रूकमणी नगर, हिटाणू, धनारी उत्तरकाशी।	शास्त्री स्तर पर :– साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष प्रत्येक विषय में योग पी.जी. डिप्लोमा योग प्रमाण–पत्र आचार्य (एम.ए.) शिक्षाशास्त्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
47	आर्यन योग महाविद्यालय, भगेडी महावतपुर रुड़की।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें –40 सीटें
48	भागवत प्रसाद शिक्षण एवं सेवा संस्थान, हिटाणु	योगाचार्य	–30 सीटें

	उत्तरकाशी।	पी.जी. डिप्लोमा	–30 सीटें
49	दून आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज, देहरादून।	योगाचार्य योग पी.जी. डिप्लोमा	–40 सीटें –40 सीटें
50	राजश्री योग संस्थान, रूषा फार्म गुमानीवाला, श्यामपुर ऋषिकेश।	योगाचार्य योग पी.जी.डिप्लोमा योगप्रमाण–पत्र	–40 सीटें –40 सीटें –40 सीटें
51	रूबराज इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स रटडीज, शाहपुर शीतला खेडा, हरिद्वार।	योगाचार्य	–40 सीटें

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–14 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सत्र 2021–22 एवं 2022–23 के सम्बद्धता विस्तारण हेतु अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्णय लिया कि सत्र 2023–24 हेतु स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त ही सम्बद्धता/ मान्यता का विस्तारण किया जाय।

मा. विद्यापरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व में संचालित बी.लिब्, एम.लिब्, आचार्य दर्शन पाठ्यक्रमों का स्थगन निरस्त करते हुये उन्हें पुनः संचालित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय परिसर में शास्त्री दर्शन पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया जाय।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रकरण का संज्ञान लिया तथा वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के सम्बद्धता विस्तारण पर अनुमोदन प्रदान किया। मा0 कार्यपरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2023–24 की अस्थाई मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व सभी महाविद्यालयों/संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया जाय तथा प्राप्त आख्या के आधार पर ही अस्थाई मान्यता/सम्बद्धता का नवीनीकरण/विस्तारण किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया जाय। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों का स्थलीय औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया, जिस हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद संख्या : 26 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 21वीं बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2021 के मद संख्या–03 के विनिश्चयानुसार एवं मा. कार्यपरिषद् की सम्पन्न हुयी 40वीं बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2021 के मद संख्या–04 पर वर्गीकरण के प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श किया गया तदुपरान्त मा. कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों :– 1. श्री 108 बाबा काली कमली वाले रामनाथ जी की छात्रहितकारिणी संस्कृत पाठशाला ऋषिकेश, जिला–देहरादून एवं 2. श्री जगद्गुरू श्रीचन्द्र संस्कृत महाविद्यालय भगवद्धाम, हरिद्वार को विश्वविद्यालय के पत्रांक 765/प्रशासन/2021 दिनांक 17 फरवरी, 2021 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया गया कि वह भूमि सम्बन्धी अभिलेख वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2022–23 से शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी।

उक्त महाविद्यालयों के द्वारा प्रत्यावेदन पत्र दिये गये जिन्हें मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 24वीं बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2021 के मद संख्या–09 पर प्रस्तुत किया गया। मा. विद्यापरिषद् के निर्णयानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को शासन द्वारा गठित समिति को सन्दर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ परन्तु शासन द्वारा गठित समिति में से एक सदस्य सेवानिवृत होने के कारणों से स्थलीय निरीक्षण कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका।

उक्त महाविद्यालयों द्वारा अपने महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से बिना अनुमति के शास्त्री एवं आचार्य प्रथम सेमेस्टर में छात्रों को प्रवेश दिया गया। महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा छात्रहित के दृष्टिगत महाविद्यालय में सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश एवं परीक्षा आदि की अनुमति हेतु अनुरोध किया

गया। छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये मा. कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदन एवं मा. विद्यापरिषद्/मा. कार्यपरिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में वर्तमान सत्र 2022–23 हेतु छात्रों को प्रवेश, परीक्षा आदि दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–15 पर प्रस्तुत किया गय जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 27 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में नव–निर्मित छात्रावास का संचालन किया जाना है। इस सम्बन्ध में छात्रावास नियमावली तैयार की गयी है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी छात्रावास नियमावली का प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–16 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया। सम्बन्धित नियमावली के पृष्ठ संख्या–06 पर छात्रावास संचालन के सम्बन्ध में अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति किये जाने हेतु मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 28 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 07 नवम्बर, 2022 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 जारी किया गया है को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–17 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 29 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष श्रवण माह में संस्कृत सप्ताह महोत्सव मनाया जाता है जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं :–

1. श्रावणी (उपाकर्म), 2. विशिष्ट व्याख्यान, 3. श्लोकान्त्याक्षरी, 4. श्लोकास्पर्धा, 5. आशु संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, 6. संस्कृत–कविगोष्ठी।

उक्त कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है जिसका विवरण संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–18 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 30 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान के अन्तर्गत कम्प्यूटर विषय संचालित है इस विषय में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–19 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 31 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 22वीं बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2021 के मद संख्या–05 के विनिश्चयानुसार विश्वविद्यालय में लोक भाषा प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया था।

लोक भाषा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. श्वेता अवस्थी द्वारा लोक भाषा में संस्कृत को मूल आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–20 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः संशोधित प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 32 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में पूर्व से विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम कराये जाने हेतु निम्न विभागों/विषयों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है जिसमें साहित्य, योग, हिन्दी, ज्योतिष, व्याकरण के पाठ्यक्रम पूर्व में ही मा. विद्यापरिषद् एवं मा. कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त व्याकरण (संशोधित/पुनर्निर्माण) ज्योतिष (संशोधित/पुनर्निर्माण), आचार्य (एम.ए.) शिक्षाशास्त्र, शिक्षाशास्त्री (बी.एड.), विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कोर्स वर्क पाठ्यक्रम एवं पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा (P.S.S.T) (संशोधित/पुनर्निर्माण) इतिहास, पर्यावरण, अंग्रेजी विषयों के एक सत्रीय अनिवार्य (कोर्स वर्क) पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा निर्माण/संशोधित/पुनर्निर्माण किये गये हैं।

सम्बन्धित पाठ्यक्रम मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है तथा जिन विषयों के पाठ्यक्रम पूर्व में मा. विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं हैं उनके कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–22 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 33 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में वेद विभाग के अन्तर्गत विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने विषयक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है पाठ्यक्रम को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 20वीं बैठक दिनांक 24 जून, 2020 के मद संख्या–07 पर निम्नवत प्रस्तुत किया गयाः–

विश्वविद्यालय में वेद विभाग के अन्तर्गत विशिष्टाचार्य (एम.फिल्.) एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम संचालित करने विषयक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

उक्त प्रकरण को मद संख्या–01 की कृत कार्यवाही में मद संख्या–03 पर गठित समिति को सन्दर्भित किये जाने पर निर्णय लिया गया। समिति द्वारा प्राप्त संस्तुति पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के मद संख्या–03 के विनिश्चय पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया जिसमें यह उभर कर आया कि विश्वविद्यालय में कोई भी पाठ्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व अध्यादेश एवं परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना उचित होगा। विश्वविद्यालय में कई आधुनिक विषय पूर्व से ही संचालित

हो रहे हैं, जिन पर गम्भीर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि विश्वविद्यालय में जो भी आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उन पाठ्यक्रमों में अधिकतम संस्कृत को कैसे समाहित किया जाय इस पर विचार किया जाय एवं आधुनिक विषयों में पीएच.डी. आरम्भ करने से पूर्व सामयिक रूप में समग्र समीक्षा किये जाने पर विद्वज्जनों ने एकमत अभिव्यक्त किया कि इस कार्य हेतु मा. कुलपति महोदय को एक समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत किया, जो विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे समस्त पाठ्यक्रमों को सस्कृत विश्वविद्यालय के अनुरूप एवं भविष्य में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु अपनी विस्तृत आख्या तीन माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगी। तब तक वर्तमान समय मे संचालित हो रहे पाठ्यक्रमों को यथास्थिति रखा जाय और कोई नवीन पाठ्यक्रम संचालित न किया जाय।

तत्कालीन मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठकें आहूत की गयी परन्तु अन्तिम निष्कर्ष पर न पहुँचने के कारण कार्यवाही लम्बित है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रकरण/प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–23 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया कि सत्र 2023–24 से समस्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाये।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 34 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर मान्यता प्राप्त कर ली गयी है।

अतः उक्त महाविद्यालय को महाविद्यालय की सूची से पृथक् किये जाने का प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–25 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 35 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की क्रीड़ा विभाग हेतु मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति ने क्रीड़ा नियमावली तैयार की है।

अतः क्रीडा नियमावली मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–26 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया। सर्वसम्मति यह भी गया कि विश्वविद्यालय में खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्रीड़ा प्रभारी द्वारा खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं अन्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 36 विश्वविद्यालय की विद्यावारिधि (पीएच.डी.) विवरणिका एवं नियमावली मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–27 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने उपरोक्त विवरणिका एवं नियमावली पर गहन विचार–विमर्श किया तथा नियमित विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम हेतु विवरणिका एवं

नियमावली को अनुमोदित किया गया। अंशकालिक विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शोध कार्य की अवधि, उपस्थिति, सीटों की संख्या, अर्हता बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार की सम्बन्धित विवरणिका (सत्र 2022–23) में वर्णित दिशा–निर्देशों को यथावत् अंगीकृत कर लिया जाय, तद्नुसार अनुमोदित।

इस संदर्भ में मा. कार्यपरिषद को अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2023 को मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के लिए प्रवेश परीक्षा के पैटर्न पर विचार किया गया जिसमे "उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार विद्यावारिधि (पीएच.डी.) अध्यादेश के 5.4.1 के अनुसार प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय तथा विवरणात्मक/दीर्घउत्तरीय प्रश्न सम्मलित होगे" अंश पर बैठक में पारदर्शिता की दृष्टि से आंशिक संशोधन करते हुए विवरणात्मक/दीर्घउत्तरीय प्रश्न के स्थान पर वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय पैटर्न पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः **मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

मद संख्या : 37 विश्वविद्यालय के दशम दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधि (डी.लिट्.) दिये जाने का प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–28 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः **मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

मद संख्या : 38 (i)मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री सन्दीप जोशी द्वारा दिनांक 03.01.2022 को उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून में प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में दिनांक 04.01.2022 को श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार को प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्र संख्या– 6830/कार्मिक/01/विविध/2021–22 दिनांक 16.02.2022 द्वारा श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार से रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर इस आशय से लिखित सहमति "कि **यदि 03 वर्ष की अवधि से पूर्व उत्तराखण्ड जल संस्थान में कार्यरत सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक यदि लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद पर प्रोन्नत होते हैं तो यह प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा**" इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–735/प्रशासन/2022 दिनांक 18 फरवरी, 2022 द्वारा श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से प्राप्त रू. 100/– का शपथ पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्र संख्या– 6830/कार्मिक/01/विविध/2021–22 दिनांक 16.02.2022 द्वारा श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को उत्तराखण्ड जल संस्थान में लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से 03 वर्ष अथवा उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक पदधारकों की पदोन्नति लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद पर होने तक (जो भी पहले हो) के लिए कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून में प्रतिनियुक्ति पर निम्नवत प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है।

1. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के समय–समय पर प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी निर्गत शासनादेशों के अधीन होगी।
2. प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर उक्त प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
3. प्रतिनियुक्ति पर प्रथम कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता अनुमन्य नही होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार को चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून में लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक (प्रतिनियुक्ति) पद पर योगदान हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करेंगे।

श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार के द्वारा दिनांक 23.03.2022 को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–838/प्रशासन/सा.जो./2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 को मा. कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 25.03.2022 के अपराह्न में प्रथम एक वर्ष के लिये कार्यमुक्त किया जाता है जिसे मा. कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में एक–एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। श्री सन्दीप जोशी सम्बन्धित विभाग में अविलम्ब अपनी उपस्थिति दर्ज कराये।

उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्र संख्या– 6639/कार्मिक/01/विविध/2022–23 दिनांक 16.12.2022 द्वारा श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति) उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का समायोजन उत्तराखण्ड जल संस्थान में लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद पर किया जाता है तो आपके विभाग को आपत्ति होगी अथवा नहीं कि सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–863/व्य.प./श्रीसं.जो./2022 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को मा. कुलपति के अनुमोदन एवं मा. कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में समायोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्र संख्या 10785/कार्मिक/01/प्रतिनियुक्ति/11/2022–23 दिनांक 23.03.2023 द्वारा श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार की उत्तराखण्ड जल संस्थान में लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि 02 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–1149/प्रशासन/सं.जो./2023 दिनांक 24 मार्च, 2023 को मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में श्री सन्दीप जोशी, लेखाकार को उत्तराखण्ड जल संस्थान में लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 02 वर्ष बढ़ाये जाने अथवा समायोजन होने तक जो भी पूर्व में घटित हो के सम्बन्ध में मा. कार्यपरिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में अनापत्ति निर्गत की जाती है।

(ii) डॉ0 धीरज शुक्ला, सहायक आचार्य, पत्रकारिता का गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में सह–आचार्य के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें एक वर्ष के धारणाधिकार पर दिनांक 05.09.2022 के अपराह्न से मा. कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में इस आदेश के साथ कार्यमुक्त किया गया कि मा. कार्यपरिषद् का निर्णय बाध्यकारी होगा।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 39 विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में परामर्श (Consultancy) प्रारम्भ करने विषयक प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि योग विभाग द्वारा परामर्श (Consultancy) प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जा रहा है, विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के दिनांक 27.03.2023 को आहूत बैठक में विभागाध्यक्ष, योग विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मद सं0–06 के विनिश्चय में अनुमोदन प्रदान किया गया है। मा0 कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते

हुए अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में तीन माह के लिए उपर्युक्त परामर्श (Consultancy) प्रारम्भ किये जाने विषयक व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचत से करते हुए तदुपरान्त यह व्यवस्था सम्बन्धित विभाग द्वारा सैल्फ सस्टेन्ड प्रणाली के अन्तर्गत संचालित की जाय। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा उपर्युक्त परामर्श (Consultancy) प्रणाली के लिए एस.ओ.पी. समाहित करते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया जाय।

मद संख्या : 40 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की सम्पन्न हुयी 44वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के अन्य मद संख्या–02 पर विश्वविद्यालय में 04 शोध पीठों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित हुआ था तदुपरान्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के फा.सं. 1–4/2022 (पीठ) दिनांक 16 मार्च, 2023 द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें निम्न अंकित किया गया है :–

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 1795/कुलपति पटल/शोध पीठ स्थापना/2023, दिनांक 06.02.2023 जिसमें आपके द्वारा विश्वविद्यालय में निम्न चार पीठ स्थापित करने के लिए यू.जी.सी. से स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

1. पंडित दीन दयाल उपाध्याय पीठ
2. श्री गुरु गोविन्द सिंह पीठ
3. स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ
4. महाराजा अग्रसेन पीठ

इस सन्दर्भ में, आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पीठों की स्थापना हेतु यदि आपका विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी प्रकार के अनुदान की अपेक्षा नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त चारों पीठ के संचालन का मानदेय रहित प्रभार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रदान किया जाय, जिसके लिए मा. कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या : 41 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को उच्च शिक्षा में समाहित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि अपनी स्थापना के प्रारम्भिक चरण में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अन्तर्गत संचालित किया गया था, जिसे बाद में उच्च शिक्षा से पृथक् कर संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। मा0 कार्यपरिषद् के समक्ष यह बिन्दु भी प्रस्तुत किया गया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में संचालित होने के कारण विश्वविद्यालय को अनेक बार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को समय–समय पर निर्गत की गयी महत्वपूर्ण सूचनाओं, जो उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के भावी स्वरूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, से वंचित रहना पड़ता है।

उपर्युक्त के आलोक में मा0 कार्यपरिषद् ने यह स्वीकार किया कि चूँकि विश्वविद्यालय की प्रकृति उच्च शिक्षा की होती है, अतः उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को उच्च शिक्षा में समाहित किया जाना विश्वविद्यालय के लिए हितकर होगा। उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या : 42 शासन से प्राप्त पत्र संख्या–38/XLII–1/2022–06(12)2015 संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 15 मार्च, 2022 द्वारा डॉ. उर्मिला पाण्डेय, अंशकालिक प्रवक्ता, योग को विनियमित किये जाने विषयक प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय: मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निम्नवत् समिति गठित की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि समिति की आख्या प्राप्त होने तक इस प्रकरण को स्थगित रखा जाय:–

1. प्रो. सत्यपाल सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
2. प्रो. एन.पी. सिंह, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. एडवोकेट श्री राकेश चौहान, हरिद्वार

मद संख्या : 43 विश्वविद्यालय में ई–फाईलिंग की प्रक्रिया लागू किये जाने का प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय: मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया था कि उक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय में ई–फाईलिंग की प्रक्रिया लागू किये जाने संबधी प्रकिया गतिमान है। मा. कार्यपरिषद् ने उक्त का संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 44 मा. कार्यपरिषद् की 45वीं आकस्मिक बैठक, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय: मा. कार्यपरिषद् द्वारा 45वीं आकस्मिक बैठक, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त में उल्लिखित मद सं0 2 के विनिश्चय में टंकण त्रुटि के कारण लिखा गया है कि –"शासनादेश व कार्यालयादेश विषय को स्वीकार न करते हुए इस आशय के साथ उ0प्र0रा0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26/4 के तहत उक्त निर्णय वित्त समिति को वापस किये जाने का निर्णय किया गया।" यहां पर "शासनादेश व कार्यालयादेश विषय को स्वीकार न करते हुए" के स्थान पर *"शासनादेश व कार्यालयादेश के आलोक में"* इस प्रकार संशोधित समझा जाए।

मा0 कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया चूंकि मा0 कार्यपरिषद् की 45वीं आकस्मिक बैठक, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अन्य मद के मद सं0–02 कुलसचिव श्री गिरीश कुमार अवस्थी से सम्बन्धित है, अतः इसे श्री दिनेश कुमार, उपकुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाए, जिसका कार्यवृत्त पृष्ठ सं0 23 पर द्रष्टव्य है।

उक्त बैठक के शेष कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य मद : मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

मद सं0 : 01 डॉ. अजय परमार, सहायक आचार्य, इतिहास द्वारा उनकी पूर्व के महाविद्यालय में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 30.03.2023, मा0 कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चय: मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि मा0 कार्यपरिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में डॉ. अजय परमार को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे–प्रोटेक्शन का लाभ विश्वविद्यालय के कार्यालयादेश पत्रांक 174/प्रशासन/2021, दिनांक 20 जुलाई, 2021 के द्वारा प्रदान किया गया है।

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया तथा उनकी पूर्व के महाविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवाओं के साथ जोड़ने का अनुमोदन प्रदान किया।

मा0 कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि इस परिषद् के 03 सम्मानित सदस्यों– मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री लोक पाल सिंह, पूर्व मा. न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, प्रो. कमला पन्त, विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग, एम.बी. (पी.जी.) कॉलेज, हल्द्वानी एवं डॉ. ओम प्रकाश भट्ट, पूर्व प्राचार्य (से.नि.), श्री रामानुज वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय, भूपतवाला, हरिद्वार का कार्यकाल 05 अप्रैल, 2023

को पूर्ण हो रहा है। मा0 कुलपति महोदय सहित मा0 कार्यपरिषद् के सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों द्वारा उपर्युक्त तीनों सम्मानित सदस्यों को उनके अमूल्य सहयोग एवं योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव / सदस्य सचिव

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
कुलपति

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यपरिषद् की 46वीं बैठक, दिनांक 30 मार्च, 2023 का कार्यवृत्त

मा0 कार्यपरिषद् की 45वीं आकस्मिक बैठक, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अन्य मद के मद सं0–02, जो कुलसचिव श्री गिरीश कुमार अवस्थी से सम्बन्धित है, को श्री दिनेश कुमार, उपकुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया:–

मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि 45वीं आकस्मिक बैठक, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अन्य मद के मद सं0–02 कुलसचिव श्री गिरीश कुमार अवस्थी से सम्बन्धित है। मा0 कुलपति ने श्री अवस्थी को इस मद की कार्यवाही की अवधि में सदन में उपस्थित न रहने का अनुरोध किया, जिसपर मा0 कार्यपरिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव दिया कि वे इस कार्यवाही के दौरान सदन में उपस्थित रह सकते हैं तथापि यह प्रकरण उपकुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

उपकुलसचिव द्वारा मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि 45वीं आकस्मिक बैठक, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अन्य मद के मद सं0–02 के अनुसार कुलसचिव को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उनके द्वारा उत्तर प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी, जिस पर उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। तत्पश्चात्, कुलसचिव श्री गिरीश कुमार अवस्थी द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हो गया है, जिसके आधार पर प्रो. इन्द्रजीत सिंह सोढ़ी, आचार्य एवं अध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, राजीव गांधी नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूथ डिवेलपमेंट (भारत सरकार), क्षेत्रीय केन्द्र, सैक्टर–12, चण्डीगढ़ से प्रकरण में आख्या आमंत्रित की गयी, जो सीलबन्द लिफाफे में मा0 कार्यपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की गयी। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा श्री गिरीश कुमार अवस्थी, कुलसचिव, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, के विरुद्ध शिकायती पत्र व उस पर की गयी कार्यवाही के संबंध में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून से प्राप्त पत्र सं0 62/XLII-1/2023-06(06)2012 दिनांक 23 मार्च, 2023 का भी संज्ञान लिया गया।

मा0 कार्यपरिषद् ने वर्तमान में प्रो. सोढ़ी की आख्या को सीलबन्द ही रखते हुए मा0 कार्यपरिषद् द्वारा इस प्रकरण पर प्रो. यशवीर सिंह, मा0 सदस्य, मा0 कार्यपरिषद्, उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार एवं प्रो. एन.पी. सिंह, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को समाहित करते हुए द्विसदस्यीय तथ्य खोजी समिति (FFC) बनाये जाने का निर्णय लिया, जो समस्त तथ्यों का अवलोकन कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। मा0 कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपर्युक्त पत्र सं0 62/XLII-1/2023-06(06)2012 दिनांक 23 मार्च, 2023 के आलोक में श्री गिरीश कुमार अवस्थी, कुलसचिव को प्रदत्त 'कारण बताओ नोटिस' तथा उस पर श्री अवस्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर/पक्ष की प्रतिलिपि शासन को गोपनीय रूप में अवलोकनार्थ प्रेषित की जाय। चूंकि प्रो. इन्द्रजीत सिंह सोढ़ी की रिपोर्ट पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है; वह अभी सीलबन्द है एवं मा0 कार्यपरिषद् के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार द्विसदस्यीय तथ्य खोजी समिति (FFC) का गठन कर दिया गया है, तदनुसार शासन को इस सम्बन्ध में यथा समय सूचित कर दिया जाय। मा0 कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि आवश्यकता होने पर तथ्य खोजी समिति (FFC) द्वारा सम्बन्धित कार्यवाही के समय उपर्युक्त सीलबन्द लिफाफे का संज्ञान लिया जा सकता है।

(दिनेश कुमार)
उपकुलसचिव

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
कुलपति